छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 242/2007

1. श्री श्रीनिवास पाल, - अपीलार्थी
जनपद सदस्य,
जनपद पंचायत बान्दे, सावेर
विकास खण्ड - कोयलीबेडा,
जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, कोयलीबेडा,
जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 02 अगस्त, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री श्रीनिवास पाल ने दिनांक 26.09.2006 को प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 27.10.2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील में कार्यवाही नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 19.02.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को विलंब से जानकारी देने के लिए 25 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 06.07.2007 को प्रस्तुत किया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने अपने उत्तर में बताया है कि ग्राम रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति आदि की कार्यवाही जिला पंचायत से हुई थी और केवल आवेदन प्राप्त करने के लिए जनपद पंचायत को निर्देश दिये गये थे । इस संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 16.12.2006 को पत्र भी लिखा गया था तथा ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को यह पत्र भेजा

गया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा दिनांक 01.12.2006 को उक्त जानकारी निःशुल्क

अपीलार्थी को प्रदान करा दी गई थी । अपीलार्थी ने लिखित तर्क में यह बताया है कि आयोग के निर्देशानुसार निःशुल्क निरीक्षण भी नहीं कराया, किन्तु कुछ जानकारी दिनांक 01.12. 2006 को मिली है तथा विकासखण्ड कोयलीबेडा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिली है । यह आश्चर्यजनक है कि अपीलार्थी जनपद सदस्य है, किन्तु वे विकासखण्ड कार्यालय की ही जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं । मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मौखिक तर्क में यह बताया गया कि पता सही नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें पत्र समय पर नहीं पहुंचते हैं, साथ ही जनपद पंचायत की बैठक में काफी समय से भाग नहीं ले रहे हैं । प्रकरण के रिकार्ड से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा जानकारी उन्हें भेज दी गई है, यदि इनमें से कोई भी जानकारी अपूर्ण है तो संबंधित अधिकारी से संपर्क कर उन्हें सही जानकारी प्राप्त करने का स्वयं प्रयास करना चाहिए । अपीलार्थी विकासखण्ड कोयलीबेडा से संबंधित जानकारी नहीं मिलना बता रहे हैं पर पूरे जिले की जानकारी में वह भी सम्मिलित होना चाहिए । प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है फिर भी प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई जानकारी शेष रही हो तो, शेष जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को कराया जावे और उन्हें निःशुल्क जानकारी जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत कार्यालय में बुलाया जाकर प्रदाय किया जावे ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त